

प्रेषक,

डॉ० सुधीर एम० बोबडे,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,  
दुग्धशाला विकास, उ०प्र०,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 19 नवम्बर, 2018

**विषय:- "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-824/दुग्ध नीति-2018, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्ध आयुक्त के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25-10-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक 07-06-2018 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

**1. नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता:च**

इस योजना के अन्तर्गत वह दुग्ध इकाईयाँ पात्र होगी जो अधिसूचना संख्या-01/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018 दि०-07-06-2018 की तिथि से पांच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि संबंधित से प्राप्त कर ली हो। 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

**2. वित्तीय अनुदान एवं रियायतें:**

प्रदेश में दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रियायतें, वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश अनुदान, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा दुग्ध प्रसंस्करण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अनुदान, ब्याज उपादान, गुणवत्ता मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान, पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन तथा मानव विकास के प्राविधान किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नांकित रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी:-

**2.1 पूँजीगत निवेश अनुदान:**

उ०प्र० दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, तथा पशुओं के लिए तकनीकी निवेश आधारित इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत जो अधिकतम धनराशि रू० 50.00 लाख की सीमा तक दो समान किशतों में अनुदान



उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

## 2.2 ब्याज उपादान:-

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के प्राविधान के अनुसार-

(क) योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु दुग्ध प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्थापित किये गये प्लान्ट मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की दर का शत प्रतिशत, अधिकतम 05 वर्ष तक पूर्ति की जायेगी।

(ख) अन्य दुग्ध प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्थापित किये गये प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की दर का 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज की दर से जो कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 50.00 लाख तक होगी।

परन्तु, प्रस्तर-2.1 में प्रस्तावित पूंजीगत अनुदान एवं प्रस्तर-2.2 में प्रस्तावित बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की दशा में अनुमन्य ब्याज उपादान सहित पांच वर्षों में अधिकतम धनराशि रू.250.00 लाख की सीमा तक ही अनुमन्यता होगी।

## 2.3-मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान:

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक््रीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ014001, आई0एस0ओ0 22000, एच0ए0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटो सेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

## 2.4-पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान:

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी।

## 2.5-बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान:

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायीं जायेंगी:-

क- प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 02 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

ख- राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत जो रू 10.00 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान होगा।

ग- राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board ) मूल्य का 20 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 20.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान होगा।

## 3-आवेदन पत्र की प्राप्ति:

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर अंकित कर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में स्टेट नोडल एजेसी (उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद) को प्रस्तुत करेंगे।

3.1 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण से सम्बन्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेन्सी को प्राप्त होना आवश्यक

है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की तिथि को शत-प्रतिशत निर्माण कार्य, मशीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शत-प्रतिशत टर्म लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।

**3.2** उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु ब्याज उपादान हेतु आवेदन, व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलम्बतम छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

**3.3** मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रमोशन तथा बैंकुवल प्रोजेक्ट सम्बन्धी आवेदन, इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किये जायेंगे।

**4-कार्य क्षेत्र:-**दुग्ध नीति-2018 सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

**5-पात्र सेक्टर:-** उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत दुग्ध उद्योग के लिए निम्नांकित उद्योग सम्मिलित होंगे:-

- दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना।
- दुग्ध अवशीतन प्लांट/बल्क मिल्क कूलर की स्थापना।
- दुग्ध उत्पाद जैसे-घी, पनीर, खोया, चीज, बटर, मिल्क पाउडर, दही, फ्लेवर मिल्क, शिशु दुग्ध आहार, कंडेस्ड मिल्क, माल्टेड मिल्क फूड आदि के निर्माण, प्रसंस्करण एवं पैकिंग हेतु प्लांट की स्थापना।
- मूल्य सर्वाधिक दुग्ध पदार्थ के निर्माण हेतु प्लांट की स्थापना।
- प्रदेश में "मेक इन यू0पी0" के अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन/प्रसंस्करण/अवशीतन/विपणन से सम्बन्धित उपकरण, मशीनरी आदि स्थापित किये जाने हेतु प्लांट की स्थापना।
- दुग्ध जाँच से सम्बन्धित उपकरण, संयंत्र निर्माण हेतु प्लांट की स्थापना तथा इससे सम्बन्धित शोध एवं विकास।
- हरा चारा बीज के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य।
- प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, मूल्य सर्वाधिक दुग्ध उत्पाद आदि का प्रबन्धन, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन।
- दुग्ध उत्पाद बढ़ाने हेतु 02, 04, 06, 08 एवं 10 पशुओं का क्रय।
- शीतलीकरण हेतु बल्क मिल्क कूलर एवं मिल्किंग मशीन का क्रय।
- देशी दुग्ध उत्पादों यथा घी, पनीर, खोया, आईसक्रीम आदि हेतु डेरी संयंत्रों/उपकरणों के क्रय।
- दुग्ध जाँच संयंत्र एएमसीयू/डीपीएमसीयू के क्रय।
- पशुशाला निर्माण (10 दुधारू पशुओं अथवा अधिक पर)।
- दुधारू पशुओं के टीकाकरण, डिजर्मिंग एवं मेस्टाइटिस कन्ट्रोल दवाओं आदि के निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।

**6- पात्र संस्थायें:-**

**6.1-** दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु सभी क्रियान्वयन संस्थायें/संगठन यथा राजकीय/अर्धसरकारी/संयुक्त उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी संस्थायें/स्वयंसेवी संस्थायें/निजी क्षेत्र/व्यक्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

**6.2-**राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों में दुग्ध प्रसंस्करण तकनीकी, पैकेजिंग तथा विपणन में स्नातक

एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही पशुपालन क्षेत्र में स्थापित उन संस्थानों को भी प्रोत्साहित करेगी, जिसमें पशुओं की देख-भाल, पशुओं का प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, प्रबन्धन तथा पशुपोषण प्रबन्धन इत्यादि की शिक्षा एवं उसका प्रशिक्षण दिया जाता हो। इन संस्थाओं को आधुनिकीकरण/ उच्चीकरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, प्रयोगशाला उपकरण/तकनीकी/शैक्षिक पुस्तकें, मैगजीन, ई-जरनल/जरनल इत्यादि के क्रय हेतु होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत जो अधिकतम रु0 50.00 लाख का अनुदान देय है। इन संस्थाओं द्वारा भूमि, भवन, मानव संसाधन एवं अन्य आवर्ती व्ययों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तकनीकी/शैक्षिक पुस्तकें, मैगजीन, ई-जरनल/जरनल इत्यादि की लागत मशीन उपकरणों की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

#### 7- पात्र/अपात्र घटक:-

##### (क) तकनीकी सिविल कार्य:-

इण्डस्ट्री में उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समस्त सिविल कार्य तकनीकी सिविल कार्य की पात्रता में सम्मिलित होंगे। सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं होंगे वह इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किये जायेंगे। निम्नलिखित सिविल कार्य को तकनीकी सिविल कार्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा:-

- (1) चहारदीवारी।
- (2) सम्पर्क मार्ग।
- (3) प्रशासनिक कार्यालय भवन।
- (4) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वार्टर्स अथवा आवास।
- (5) सफाई कक्ष।
- (6) सिवियोरिटी गार्ड कक्ष या समकक्ष।
- (7) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।

##### (ख) प्लांट एवं मशीनरी:-

उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित उपकरण एवं मशीनरी योजनान्तर्गत पात्रता में सम्मिलित की जायेगी-

- (1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टेन्डराइजेशन, शुगर ट्रीटमेन्ट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाईजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेज, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफाईंग आदि।
- (2) पाश्चुराईजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, ड्राइंग, स्टरलाईजेशन, कन्सन्ट्रेशन आदि।
- (3) कैंनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि।
- (4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि।
- (5) कन्ट्रोल्ल टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड ट्रान्सपोर्ट, इंसुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।
- (6) अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं सेल्फ लाईफ बढ़ाने से सम्बन्धित हो, पात्र होंगे।

##### (ग) प्लांट एवं मशीनरी में निम्नलिखित पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा:-

- (1) ईंधन/तेल, उपभोग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री।
- (2) विद्युत सामग्री (मशीनों में स्थापित उपकरण को छोड़कर)।
- (3) कम्प्यूटर्स और सम्बन्धित कार्यालय फर्नीचर।
- (4) परिवहन वाहन।
- (5) स्थापन, संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क।

- (6) उपयोग की गयी/पुरानी मशीने/मरम्मत की हुई मशीनरी।
- (7) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क।
- (8) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय।
- (9) क्लोज सर्किट कैमरा एवं सम्बन्धित उपकरण।
- (10) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
- (11) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

8. आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेख:-

8.1 पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उपादान योजनान्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण उन्नयन द्वारा स्वीकृत दुग्ध इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख।

- (1) निर्धारित रूप पत्र (एनेकजर-ए) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।
- (2) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था का टर्म लोन हेतु स्वीकृति पत्र।
- (4) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) हेतु निर्गत अप्रैजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लांट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स तथा सिविल कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।
- (5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल बाउचरों को भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक है।(एनेकजर-ए/2)
- (6) क्रय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार, मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गयी है और वह नियमानुसार ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेकजर-ए/3)
- (7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेकजर-ए/7)
- (8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लांट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेकजर-ए/8)
- (9) संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफ एसोसिएशन और समिति का बाईलाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
- (10) संगठन के आफिस बियरर/प्रमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।
- (11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षों हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेंट और वार्षिक प्रतिवेदन।
- (12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लूप्रिण्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
- (13) लघुउद्योग (एस0एस0आई0)/इण्डस्ट्रियल इण्टरप्रेनियम मेमोरेण्डम(आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।
- (14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- (15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
- (16) अग्निशमन प्रमाणपत्र (सक्षम स्तर से जारी)।
- (17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ0एस0एस0ए0आई0) लाइसेंस।

Dharmendra  


- (18) परियोजना से संबंधित अन्य लाईसेंस।
- (19) रू0 100/-के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए/6)
- (20) रू0 100/-के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity) (ब्याज उपादान हेतु एनेक्जर-ए/9)।
- (21) क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अंतर्गत:-
- (अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि।
- (ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि।
- (स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि।
- (द) प्लांट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि।
- (य) प्लांट और मशीनरी के स्थापना/संस्थापन की तिथि।
- (र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि।
- (ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।

**8.2 ब्याज उपादान हेतु प्रस्तर 8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:-**

- 8.2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने (व्यवसायिक कार्य चालान अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से संबंधित पत्र (इकाई हेतु ब्याज उपादान संबंधी)।
- 8.2.2 निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज उपादान/अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर-ए/14)
- 8.2.3 निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-ए/4) पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- 8.2.4 बैंक द्वारा पाँच वर्षों हेतु वर्षवार ब्याज भुगतान हेतु निर्गत प्रमाण पत्र (एनेक्जर-ए/13)

**8.3 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास हेतु वांछित अभिलेख:-**

1. निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-बी) पर आवेदन।
2. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।
3. पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्ठे।
4. एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति।
5. संस्था का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफ एसोसिएशन और सोसायटी का बाईलॉज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
6. संस्था के प्रमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
7. कन्सलटेन्ट एजेंसी से प्राप्त परामर्श शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति, एकीडिटेशन हेतु एजेन्सी से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति (मानकीकरण प्रोत्साहन हेतु)।
8. पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति।
9. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्थान को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख।
10. आयात निर्यात लाइसेंस की प्रति, भूतल परिवहन पर वास्तविक शुल्क के सापेक्ष बिल एवं रसीदों, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद माँग पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी/हेल्थ प्रमाणपत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, फ्रेट चार्ज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस की प्रतियाँ (बाजार विकास प्रस्ताव हेतु)।



## 9. पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया:

अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किशतों में जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेंजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि ऋण अवधि में उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किशत की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने/ अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपॉजिट धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेंसी/नोडल विभाग को वापस करनी होगी।

### 9.1 पूँजीगत अनुदान की प्रथम किशत का अवमुक्त किया जाना:

संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50 प्रतिशत धनराशि तथा प्रमोटर अंश की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने के उपरान्त ही अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत सदस्य होंगे:-

- 1- सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अथवा मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी।
- 2- सम्बन्धित बैंक के प्रबंधक।
- 3- सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी।

उक्त के साथ ही निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किशत अवमुक्त की जायेगी :-

- (1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू0 100/-नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity) पत्र। (एनेकजर-ए/9)
- (2) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू0 100/-नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र, कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेकजर-ए/10)
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50 प्रतिशत टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदुपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किशत अवमुक्त किये जान पर कोई आपत्ति नहीं है। (एनेकजर-ए/11)
- (4) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50 प्रतिशत या अधिक अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने संबंधी प्रमाणपत्र (एनेकजर-ए/4)
- (5) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की जाँच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेकजर-ए/3)
- (6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार, मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित समस्त बिल बाउचरों का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेकजर-ए/2)
- (7) चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक

Dhamra  



उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेक्जर-ए/7)।

- (8) चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन है तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची (एनेक्जर-ए/8)।
- (9) अनुदान की प्रथम किस्त अवमुक्त से पूर्व दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

## 9.2 पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किस्त का जारी किया जाना: -

अनुदान की द्वितीय किस्त इकाई में व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100 प्रतिशत धनराशि तथा प्रमोटर अंश की 100 प्रतिशत धनराशि के साथ-साथ अनुदान की प्रथम किस्त उपयोग कर लिये जाने से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी:-

- (1) लाभार्थी/संस्था के प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा जारी प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0 जी0एफ0आर0-19ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। (एनेक्जर-ए/5)
- (2) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 100 प्रतिशत अंशपूंजी और टर्म लोन के व्यय होने संबंधी प्रमाणपत्र (एनेक्जर-ए/4)
- (3) बैंक/वित्तीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा 100 प्रतिशत टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हें राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किस्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेक्जर-ए/12)
- (4) क्रय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की अच्छी तरह जांच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेक्जर-ए/3)
- (5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित समस्त बिल बाउचरों को भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेक्जर-ए/2)
- (6) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित। (एनेक्जर-ए/7)
- (7) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची। (एनेक्जर-ए/8)
- (8) नोटरीकृत जमानती शपथपत्र निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनायें सत्य है इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। (एनेक्जर-ए/6)

  
Sandra

(9) दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

**10. ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया :**

आवेदक संस्था द्वारा प्लांट मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेकजर-ए/13, ए/14)

वांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात इकाई से नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्राधिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबंध (एनेकजर-ए/9) सम्पादित कराया जायेगा। अनुबंध के उपरांत स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

**11.** भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि किसी भी दशा में पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान के अतिरिक्त अन्य में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह सुविधा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष दिनांक 06 जून, 2023 तक अनुमन्य होगी।

**12.** उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु रियायतें एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये शासकीय व्यय की व्यवस्था दुग्धशाला विकास विभाग के आय-व्ययक में प्रति वर्ष कराया जायेगा।

**13. नोडल एजेंसी/ नोडल विभाग :**

**13.1** दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 दुग्ध नीति, 2018 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये नोडल विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी।

**13.2** अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, नीति के पदेन सदस्य-सचिव होंगे तथा वह राज्य इम्पावर्ड कमेटी के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण हेतु समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिये दुग्ध आयुक्त/परिषद कार्यालय में पृथक सेल बनाया जायेगा जो नीति के कार्यों के संचालनार्थ, समयबद्ध क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखों का रख-रखाव एवं आडिट आदि सम्बन्धित कार्यों को करेगा।

**14. प्रशासनिक व्यय :**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि का 02 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेंसी को दी जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा कर आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।

**15. विविध : -**

**15.1** नीति के अंतर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया जायेगा। दुग्धशाला विकास विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्रांकलन अधिकारी होंगे, लेखा शीर्षक के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक माँग का प्रस्ताव करेंगे।


**15.2** अन्य विभागों से संबंधित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बंधित विभागों द्वारा किये जायेंगे।

**15.3** दुग्ध नीति-2018 के किसी बिन्दु के स्पष्टीकरण देने का अधिकार मूल नीति के प्राविधानों को बिना प्रभावित किये, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को होगा।

  
Dharmendra Singh

- 15.4 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग सक्षम होंगे।
- 15.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

**संलग्नक:- यथोक्त।**

भवदीय,  
  
 (डॉ० सुधीर एम० बोबडे)  
 प्रमुख सचिव।

**संख्या-1073(1)/53-1-2018, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० दुग्ध विकास मंत्री जी उ०प्र०।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।
- 4- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश की एक अतिरिक्त प्रति समस्त संलग्नकों के साथ इस आशय के साथ प्रेषित कि पृष्ठांकन बिन्दु-1,2,3,4,5,6,7,9 एवं 19 को छोड़कर समस्त अधिकारियों को शासनादेश की प्रति संलग्नक सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि०, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
- 10- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 14- समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश।
- 17- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ०प्र०, लखनऊ
- 18- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 19- गार्ड फाइल।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से

(बिन्दु गोपाल द्विवेदी)  
 अनु सचिव।

उ०प्र० दुग्ध उद्योग नीति-2018 दिशा निर्देश के प्रस्तर संख्या 8.1/8.2 हेतु

### Annexure-A

#### Application Form

1-Capital subsidy for setting up new units/ Technology Upgradation/Modernization of Dairy Industries.

2-Interest subsidy for setting up new units/ Technology Upgradation/Modernization of Dairy industries.

SL. No.	Particulars	Details		
A.	Promoters			
1	Name and address of the promoters including telephone, fax, email etc	Name:		
		Address:		
		Phone.	Fax.	
		Email.		
2	Type of organisation like government Institution/Organisation, Industries, Association, University, NGO, Co-operative, other etc.			
3	Background/ Credentials of applicant organisation			
4	Financial status (applicable for expansion and modernization projects)	Turnover:		
		Profit:		
5	A. Existing industry if any B. For new unit: Industrial registration	A.		
		B.		
B.	Project Description			
6	Name of the Project			
7	Location/ Area of the Project			
8	Products/ by products			
9	Process with complete flow chart			
10	Technology(indigenous/imported)			
11	Capacity of the plant/ unit	existing:		
		proposed:		
12	In case of expansion/ modernisation of existing facilities/ unit (details of existing capacity and proposed capacity after expansion and along with capacity utilisation)			
C	Project cost (indicating proposed cost, appraised cost separately)			
	Items	Cost of existing items if any	Proposed cost	Appraised Cost
13	Capital investment (fixed capital)			
a	Land area cost			
b	Building			
c	Civil works			
d	Technical Civil works			
14	Plant and Machinery (Indigenous) list all existing, and proposed plant and machinery details of existing/ proposed to be installed annexure (A/1)			

15	Imported machinery (Capacity/ Specification/ Cost) list all existing, and proposed plant and machinery details of existing /proposed to be installed annexure (A/1)			
16	Pre-operative expenses			
17	Working capital			
18	Raw material/ packaging (source/ quantity/ cost) list all the raw materials and packaging items required for the projects.			
19	Labour (quantity/ cost)			
20	Effluent disposal (method/ machinery/ cost) list all the machines to be installed.			
	Total			
D	Means of Finance (indicating proposed and appraised means of Finance, separately)			
21	Means of Financing	existing	proposed	appraised
	Means of Finance in lakh(indicating proposed and approved means of Finance separately)			
	Means of Financing			
	Equity (promoter/ foreign/ other)			
	Term loan			
	Assistance from other sources			
	Grant in aid			
	Others			
	Total			
22	Financial Benchmarks			
	Items	existing	proposed	Projected
	Cash flow			
	Break even point			
	Internal rate of return			
	Debit equity ratio			
	Debt service coverage ratio			
Attach the details of calculation of each of the above on a separate sheet, must be crosssigned by the chartered Accountant				
In case of expansion/modernization, All the above Benchmarks to be given separately existing as well as projected				
In case of expansion/ modernization proposals, audited balance sheet of last 3 years to be enclosed.				
E	Marketing			
23	Marketing			
	a) Existing market			
	b) Future demand			
	c) Marketing strategy			
	d) Linkage to farm /backward linkages			
	e) Forward Market			

	linkages				
	List out each one of the parameters in details				
F	Implementation schedule				
24	Item of work and date of implementation (bar charts/milestone charts may be enclosed)	Item of work	Date		
		a. acquiring land			
		b. start of construction of building			
		c. completion of building			
		d. placing order for plant and machinery			
		e. installation/ erection			
		f. trial production/ running			
		g. Commercial production/ running			
G	Personnel				
25	Details of Technical and managerial personnel(operation, maintenance, managerial, finance, marketing, etc)required and available				
H	Employment generation-direct/ indirect		Male	Female	Total
a.	a)Direct (male and female separately)		Direct		
	b) Indirect (male and female separately)		Indirect		
			Total		
I	Bank/ Term Loan Detail				
26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Name of the Bank/ FI</li> <li>2. Branch address with contact number</li> <li>3. IFSC code</li> <li>4. Account number</li> <li>5. Total amount of term loan Sanctioned</li> <li>6. Term loan sanctioned for new plant machinery,spares and Technical Civil work</li> <li>7. Date of sanction</li> <li>8. Rate of interest</li> <li>9. Repayment schedule</li> <li>10. Amount of term loan disbursed</li> <li>11. Amount and date of first disbursement</li> <li>12. Date of commercial production</li> </ol>				

Certified that the information given above is true to the best of my knowledge and enclosures submitted are duly verified in accordance with the guidelines of the scheme. the proposal may be considered for financial assistance.

Date:  
Place

Signature:  
Name and Designation:  
Seal of the Organization:

उ०प्र० दुग्ध उद्योग नीति-2018 दिशा निर्देश के प्रस्तर संख्या 8.3 हेतु

Annexure-B

**Application Form**

1. For standardization promotion (TQM)/patent/design registration of processed Milk items.
2. Market development & brand promotion, under U.P. Milk Policy-2018.
3. Assistance for preparation of bankable projects for U.P. Milk Policy-2018.

SL.No.	Particulars	Details
<b>A.</b>	<b>Promoters</b>	
1	Name and Address of the promoters including telephone, fax, email etc.	
2	Type of organisation like government institution/Organisation, Industries, Association, University, NGO, Co-operative, other etc.	
3	Background/ credentials of applicant	
4	Financial status	Turnover: Profit:
5	Existing industry if any	A. B.
<b>B.</b>	<b>Project Description</b>	
6	Name of the Project	
7	Registered product detail	
8	Lay out plan of Unit	
9	Detail of plant machinery installed for the above purpose	
10	Detail of plant machinery and Technical civil work verified by Chartered engineer/CA evaluation certificate	
11	Detail of institution for consultancy/ registration/ patent/ preparation of the bankable project. and concert of the institution.	
12	Details of export import licence for market development	
<b>C.</b>	<b>Project cost</b>	
13	a.Consultancy fees b. Patent/design registration fees c. Fees charged by certifying body d. Fee charged by accreditation body e.Fee charged by institution for preparation of DPR	
14	Plant machinery required for quality certification/ upgradation	
15	Technical civil work required for quality certification /upgradation	
16	Other	
<b>D.</b>	<b>Means of Finance(indicating proposed and appraised means of finance,separately)</b>	
17	Promoter's contribution	
18	Term loan	
19	Assistance from other sources	
20	Others	
	Total	
<b>E.</b>	<b>Implementation schedule</b>	
21	Anticipated date of work	

Date:  
Place

Signature:  
Name and Designation:  
Seal of the Organization:

## Annexure-A/1

**Details of Plant and Machinery (Indigeneous and Imported) for Uttar Pradesh Milk policy-2018 (Capital/ Interest Subsidy)**

**A) For new units**

S.No.	Name of machine proposed	Name of supplier company	Make, model and specification	Capacity	Cost(Rs.)

**B) For existing units.**

S.No.	Name of machine proposed	Name of supplier company	Make, model and specification	Capacity	Cost(Rs.)

**C) Details of proposed plant and machinery**

S.No.	Name of machine proposed	Name of Supplier Company	Make, model and Specification	Capacity	Cost (Rs.)

Letter Head of the CA

CA certificate (with membership number of CA) in the following format:-  
Itemized Summary Statement of expenses incurred on Technical civil work

SL. No	Name of Item	Supplier	Voucher/ Bill nos.	Date of order	Date of payment	Date of arrival	Gross Cost	Tax	Other Charge	Net Cost
1										
2										
3										
4										
5										

It is further certified that-

- A) All the above entries are based on enclose bill and vouchers.
- B) All the bill and vouchers have been properly check and verified by me.
- C) All the above will vouchers are related to new construction only.

Signature and Seal of CA

## Letter Head of the CA

CA certificate (with membership number of CA) in the following format:-  
Itemized Summary Statement of expenses incurred on Plant & Machinery

SL. No	Machine Name	Supplier	Voucher /bill nos.	Date of order	Date of payment	Date of arrival	Gross Cost	Tax	Other Charge	Net Cost
1										
2										
3										
4										
5										

It is further certified that-

- A) All the above entries are based on enclose bill and vouchers.
- B) All the bill and vouchers have been properly check and verified by me.
- C) All the above will vouchers are of new Plant & Machinery.

Signature and Seal of CA

## Letter Head of the CA

CA certificate (with membership number of CA) in the following format:-

(i) Project Cost: (Rs. in lakh)

S No.	Name of the component/item	Project cost	Cost as appraised by the bank	Actual cost
1	Land			
2	Building/ Civil works			
3	Plant and Machinery			
4	Misc. fixed asset			
5	other's			
	Total			

Actual expenditure should be supported by payment details (bill/bouchers) duly certified by C.A.

(ii) Means of Finance: (Rs. in lakh)

S No.	Item	Project cost	As per appraisal report	Actual expenditure incurred as on date
1	Promoters equity			
2	Term loan			
3	Unsecured loan			
4	Grant under UP Milk policy-2018			
5	Other's			
	Total			

Details of unsecured loans, if any, duly certified by C.A.

S.No.	Name of party	PAN Number	Cheque/ DD no.	Amount

It is further certified that we have examined and verified that the M/s.....has utilized 50 or 100% of promoter contribution and sanctioned term loan for the project.

Signature and Seal of C.A.

**(Letter Head of the C.A)**  
**PERFORMA AS PER GFR 19-A**  
**(see GF rule 212(1))**

Sl. No.	Letter no & Date	Amount
1.		

Certified that out of Rs..... of grant in aid sectioned during the year..... in favour of..... under this department letter No. given in the margin and Rs.....on account of unspent balance of the previous year,- a sum of Rs.....been utilized for the purpose of..... for which it was sanctioned,that the balance of Rs.....remaining un-utilized at the end of the year... has been surrendered to Government (Vide No.....dated...will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.....

2- Certified that I have satisfied myself that conditions on which the grant in aid was sanctioned have been dully fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:

- 1.
- 2.
- 3.

signature(CA).....  
 Designation.....  
 Date.....

Counter signature of promoter of company with seal
--

**On non judicial stamp paper of Rs.100/-  
Affidavit/declaration**

I.....S/o.....Resident  
of.....Director/ Proprietor of M/s.....do here by  
solemnly affirms and state as follows:

That I am the deponent here in and I am fully acquainted with the  
information given below.

1. That the unit /organisation has not obtained are applied for or will not  
apply for Grant/subsidy for the same purpose or activity from any  
other ministry or Department of Govt. of India or state govt.
2. That all the papers, documents submitted to department of Milk  
government of Uttar Pradesh are true and correct and nothing is  
concealed.
3. If anything found False, Department Milk government of Uttar Pradesh  
shall be free to initiate proceeding against me as per law.

Deponent

**Verification:**

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the  
best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this  
Affidavit is kept concealed therein, if anything is found false in this  
affidavit subsequently deponent and Organisation shall be liable  
jointly and severally for action under the laws, hence verified at.....  
place on..... date.....

Deponent

Solemnly affirmed and signed before me on this day .....  
(Notary)



**Annexure-A/8**

**(Letter Head of Chartered Engineer-Mechanical)**

Format for item wise and cost wise details of Plant & Machinery.

Name of the project:

Location of the project:

Machinery	Specification	Existing		New				Eligible/Non-Eligible
		Nos	Capacity	Nos	Capacity	Rate	Value (Lakhs)	

- A) Certified that I have personally visited the site and examine the plant machineries installed in the factory on dated.....All above plant machineries installed are new and purchased after 7 June, 2018 and working satisfactorily. All above machineries are essential and sufficient for the proposed production capacity.
- B) Rate and value of the Machines is as per the basic cost and do not include any duty, charges Taxes, freight, insurance, erection or installation charges.
- C) The Eligible cost of new plant machinery is Rs.....(in words) as per the norms of **UPmilk policy-2018**

Date:

Signature and Seal of Chartered Engineer (Mechanical)

**To be executed on Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-**  
**Agreement of Indemnity**

This Agreement is made at Lucknow on this.....the day of.....Two thousand.....between (1)M/s....., a.....(Type of organisation) incorporated/registered under the.....(Name of the Act) and having its registered office at.....and(2) Sri.....S/o.....R/o.....(herein after called the "indemnifiers" which expression includes their legal heirs and Successors in interest) of the part and the state of Uttar Pradesh represented by the Milk Commissioner, Dairy Development Department of Uttar Pradesh (hereinafter called the "Indemnity holder") of the other part.

Whereas the indemnifier no. 1 is carrying on the business of Milk processing in the name and style of.....has applied for subsidy on interest paid to the bank/financial institution (name of the bank financial institution) from where it has arranged the money for expenditure in the plant, machinery and spare parts in the Milk processing unit established by it under the provision of Govt. order no.....date.....Annexure no.1 hereto) issued by the government of Uttar Pradesh and the indemnity holder has agreed to subsidize the indemnifier against the expenditure incurred by the indemnifier in making payment of interest to the bank/financial institution in terms of said Govt. Order;

And whereas the indemnifier no.1 in its meeting of Board of Committee dated..... has resolved that Sri.....(Name and Designation) shall Sign this agreement of indemnity. The copy of minutes of aforesaid meeting and the identity proof of Sri..... are annexed as Annexure no..... and..... hereto;

And whereas on the indemnifier's request the Government of Uttar Pradesh as per sanction order no.....dated.....(Annexure No. ....hereto) issued by the Milk Commissioner, Dairy Development Department of Uttar Pradesh Lucknow (hereinafter referred to as the "letter of sanction") after the approval of SLEC/SLEC Sub Committee, agreed to make in favour of the indemnifier-Capital subsidy/Interest subvention reimbursement as per the UP Milk Policy-2018 government order guidelines G.O. no..... dated..... for a sum of Rs.(in words) or actual claim duly verified by the concerned Bank/ financial institution, which ever is less, shall be entitled for the purpose of.....(description of project at.....(place) out of which a sum of Rs.....(in words) has been paid to the indemnifier through cheque no.....dated..... Drawn on..... (name of Bank) the receipt of which the indemnifier to hereby admit and acknowledge) which the indemnifier has deposited/shall deposit in its Current/ SB account no..... with the.....(name of bank) photocopy of the said cheque is Annexure no..... hereto; And whereas the indemnifiers have agreed the terms and condition mentioned in the aforesaid government order and the letter of sanction and have promised to abide by the same;

And whereas the parties hereto (indemnifier and indemnity holder) have gone through and have understood the contents of this agreement of indemnity.

Now on the basis of above mentioned facts indemnifiers and indemnifiers holder here by agree as follows:-

1. That the annexure of this agreement shall form an integral part of this agreement.
2. That the indemnifier no.1 shall not use or divert the grant in aid provided to it by the indemnity holder for any purpose other than payment of interest to the bank/ financial institution concerned.

3. That the indemnifiers shall abide by the terms and conditions mentioned in the government order no..... dated..... and the letter of sanction.
4. That in case the indemnifier no.1 fails to comply with any condition of this agreement, Govt.order.....dated.....and the sanction letter or commits Breach there of the indemnifiers shall jointly and severally liable to refund the amount received from the state of Uttar Pradesh without ademur.
5. That in case of failure of indemnifier to refund the amount to state of Uttar Pradesh, the state government will have a right to recover the amount paid to the indemnifier no.1 from the indemnifier as an area of land revenue.
6. That in case of any dispute arising out of this agreement between indemnifier and the indemnity holder the decision the matter shall be referred to the headquarter of Dairy Development department ,U.P and if the matter remains un disposed the same shall be referred to the principal secretary, Dairy Development department Uttar Pradesh and his decision shall be final and binding on the indemnifier and indemnity holder.
7. That the indemnifier no.1 shall keep the account of utilization of money received from the state of Uttar Pradesh and keep it ready for inspection by the govt. authorities as and when required.
8. That indemnifier No. 1 shall provide all the information about it including audited annual account/balance sheets to the Milk Commissioner, Dairy Development Department of Uttar Pradesh, Lucknow at regular intervals as demanded by him.
9. That the indemnifier no.1 shall bear all the expenses of this agreement and other expenses incidental thereto.
10. That the Principal Secretary/Secretary, Dairy Development Department UP. Govt. shall have a right to interpret any subject matter of the scheme and to amend the same as per policy of the central/state government.

In witness whereof the parties have executed this agreement of this..... day of .....2018 in their full senses, out of their free will, without any misrepresentation and undue influence in presence of following witness who have also made their signatures on this agreement of the request of parties.

Lucknow

Dated:

Witnesses

1. Name and Address
2. Name and Address:

Authorized Signatory

For and On Behalf of Indemnifier no.1  
Seal/ Stamp of Organization

Indemnifier no.2

Name:  
Address:

Authorized signatory  
for and on behalf of Indemnity Holder

On non- judicial stamp paper of Rs. 100/-  
Affidavit  
[as per GFR-209(1)]

I.....S/o.....resident of director/  
proprietor of M/s .....do here by solemnly affirms and state  
as Follows:

- a) That organisation's sisterconcern(s)/interconnected Company/ Group company as well as the applicant company itself has not obtained any financial assistance for a Milk project in the past from Govt. of India/govt. of UP.
- b) That the organisation has not obtained/applied for or will not obtained any grant /subsidy from any ministry/department of Central Govt./ GOI organisation/ Agencies and state govt. for the same purpose/ activity/ same components.

Deponent

**Verification:**

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed there in if anything is found false in this affidavit subsequently deponent and Organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws hence verified

at.....(Place).....on.....Date.....

Deponent

Notary Seal & Signature:

**Annexure-A/11**

(Letter Head of The Bank)

(For Scheme of technology Up gradation/ Establishment/ modernisation of Milk Processing Industries)

(For no objection to release 1st Instalment)

**Certificate**

- 1- Certified that this bank has appraised the project of M/s.....(name and address of the organisation) for technology upgradation/establishment/modernisation of Milk Processing industries of..... (details of project up Milk policy 2018 grant as per guidelines of the schemes and also sanction term loan of Rs.....Lakh (if applicable)
- 2- It is further certified that we have released Rs..... lakh(50% of sanction term loan) to M/s .....(name and address of the organisation).
- 3- We have no objection in keeping first installment of grant if sanctioned by the department of Dairy Development Department Govt. of Uttar Pradesh as fixed deposit in the name of organisation for a period of 3 years.

(Signature)  
 (Name)  
 (Branch manager)  
 (Branch IFSC code)

**Annexure-A/12**

**(Letter Head of The Bank)**

(For Scheme of technology Up gradation/ Establishment/ modernisation of Milk Processing Industries)

(For no objection to release 2nd installment)

**Certificate**

- 1- Certified that this bank has released 100% of term loan (if applicable) sanctioned i.e. Rs.....lakh and kept 1st installment of grant of Rs..... lakh released by the, Dairy Development Department, Govt. of Uttar Pradesh vide sanction order no..... dated.....to M/S.....(Name and address of the organisation) as fixed deposit which will be adjusted against the term loan account number..... of the firm after 3 years from the date of commercial Production.
- 2- We have no objection in keeping second installment of Grant if sanctioned by the Dairy Development Department, Govt. of Uttar Pradesh as fixed deposit in the name of organisation for a period of 3 years.

(Signature)  
 (Name)  
 (Branch manager)  
 (Branch IFSC code)

**For Interest Subsidy  
Bank certificate  
(on Letterhead)**

letter no..... date .....

Certified that this bank has appraised the project of M/S..... for setting up/expansion/modernization..... under U.P. Milk Policy 2018 (state interest subsidy scheme) of govt. of Uttar Pradesh, as per guidelines of the Dairy Development Department, govt. of U P bank has sanctioned term loan of Rs..... out of which Rs..... is towards plant /machinery, technical civil work and spare parts.

- 2.The rate of interest applicable on term loan is..... per annum.
3. That we have released Rs.....of sanctioned term loan to M/s..... in its term loan account no.....
- 4.First installment of term loan was disbursed to orgnisation on dated.....
5. Year wise calculated interest amount for next 5 years on term loan released towards plant/ machinery, technical civil work and spare parts will be as under:-

year	1st year	2nd year	3rd year	4th year	5th year
Amount					

6. The unit of organisation has started commercial production on dated.....
7. We have no objection and releasing interest subsidy as per the guidelines of state government is sanctioned.
- 8.If the promoters makes any default in repayment of loan/ interest amount, at any stage, the bank shall be bound to inform the Dairy Development Department, govt. of U P .

Signature  
(Branch Manager)  
Name & Address of Branch with Seal

**Format for Bank/Financial Institution for releasing Interest subsidy under  
U.P.Milk policy-2018**

Ref.No.....

To,  
The Milk Commissioner  
Dairy Development Department, U.P.  
18-Aashok Marg  
Lucknow-226001  
E.mail: mcup@up.nic.in

S. No.	Particulars	Description
1.	Name of the company/Firm	
2.	Sector	
3.	Location:	
a)	Address of unit.	Village/Mohalla
		Post & District
		Pin code
		e-mail
		Phone/Mob.No.
b)	Address of Registered office	Village/Mohalla
		Post & District
		Pin code
		e-mail
		Phone/Mob.No.
4.	Item of manufacturing and item wise quantity per annum	
5.	Name and address of director/ partners/ proprietor( if required attach separate sign sheet)	Name & Designation
		Village/Mohalla
		Post & District
		Pin code
		e-mail
		Phone/Mob.No.
6.	Details of term loan sanctioned for establishment of new Dairy Processing Unit/ expansion /modernisation (rupees in lakh)	6.1 Name of bank/ financial institution
		Branch
		District
		6.2 Account No.
		6.3 IFSC code
		6.4 Total term loan sanctioned
		6.5 Date of sanctioned
		6.6 Loan for new plan machinery, spare parts and Technical civi work sanctioned
		6.7 Total loan amount disbursed for plant machinery, spare parts and Technical civil work (as on date)

		6.8 Rate of interest per annum (if floating give details)		
		6.9 Amount of term loan disbursed	Date of first disbursement	
			Date of last disbursement	
7	Date of commercial production (attach first sale invoice duly certified by trade tax dept.)			
8	Total time taken for commercial production from release of date 1st disbursement (year month and days)			
9	Whether unit is permanently closed for commercial production during claim Year? Yes or No. if yes, give details of reason for closing the unit. (attached documents)			
10	Detail of Setting up of new plant & machinery with date related to purchase of plant, machinery & spare parts & list of them		Date of first purchase of plant & machinery.	
			Date of last purchase of plant & machinery	
11	Detail of new technical Civil works with dates related to commencement of Civil works			
12	Attach audited/ provisional balance sheet for claimed year			

13. Table :13 Calculation of amount of interest subsidy during the financial year-Two thousand.....

Month	Outstanding term loan amount for plant machinery technical civil work and spare part	Principal installment due		Principal installment paid		Interest due (for plant machineries technical civil work and spare parts)		Interest installments paid (for plants and machineries, technical civil work sand spare parts)		Claimed interest subsidy @ 7% of column 10
		Date	Amount (Rs.)	Date	amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	Date	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
April										
May										
June										
July										
August										
September										
October										
November										
December										
January										
February										

March											
Total											

Certificate

This is to certify that:-

- a) The above mentioned loan(SI No.6.6)is sanctioned for purchase of new plant machinery, spare part and New technical civil work for setting up/expansion/ modernization of FP unit at the above mentioned address (SI. No. 3(a)) after.....(pl mention date).
- b) All the plant machinery spare parts and new technical civil work for which above mentioned term loan SI. No.6.6) has been sanctioned is utilised for approved items as per Bank appraisal report for the production and have been purchased and installed at above mentioned address (SI.No.3 (a)).
- c) The farm company has paid all the installment for principal and interest amount of the abovemaintain term loan within the prescribed time limit as per given in( SI.No.13). This is to certify that said unit has no default at any stage and during the financial year for which the claim is made and the account has been classified as regular account as per Bank rules.
- d) All the above mentioned information (SI.No.1to 13) are true and certified by the Bank/ financial institution.
- e) Subsidy amount mentioned in above table in Colum No. 11 of table at point no.13 of said financial year of amount Rs..... is recommended to release subsidy under U.PMilk policy-2018as per the provision and term and condition government order-01/2018/548/53-1-2018-1(विकिघ)/ 2018 दिनांक 07/06/2018

Dated:-

(Signature)  
Branch Manager  
Name and Address of branch  
with seal

Encl:-

- a) Copy of loan sanction letter duly certified by bank manager if any change.
- b) Copy of statement of bank account duly certified by bank manager.
- c) Audited/ provisional balance sheet of claimed year.

Format for DPR model

1. Executive summary
2. Background
  - 2.1 Sector background
  - 2.2 Project background
  - 2.3 Promoters background
3. Land detail and Logistics
  - 3.1 Character of the land
  - 3.2 Requirement of land
  - 3.3 Ownership of the land
  - 3.4 Present status of land
  - 3.5 Location of land
  - 3.6 G.P. S. Location
4. Procurement strategy of raw material and other inputs
  - 4.1 Raw material availability
  - 4.2 Source of Procurement
  - 4.3 Process of Procurement
5. Techno commercial viability assessment
  - 5.1 Technology used
  - 5.2 Possible sources of recruitment/machine suppliers
  - 5.3 Capacity and production
  - 5.4 Pollution control (please provide the detail precisely)
    - 5.4.1 Amount of generation of pollution/waste
    - 5.4.2 Mode of waste disposal
    - 5.4.3 Machine to be installed for adhering to pollution norms
6. Process flow diagram
  - 6.1 Machine layout plan
  - 6.2 Process flow table
7. Infrastructure source
  - 7.1 Power (if from UPPCL Permission letter required)
  - 7.2 Water
  - 7.3 Manpower
8. Marketing strategy
  - 8.1 Marketing opportunity
  - 8.2 Approach
9. SWOT analysis
10. Financial analysis
  - 10.1 Cost estimates
  - 10.2 Working capital requirement
  - 10.3 Revenue projection
  - 10.4 Fund flow statement
  - 10.5 Financial ratio
  - 10.6 Break even
  - 10.7 Term loan
  - 10.8 Internal rate of return
11. Investment detail
  - 11.1 Equity contribution and source
  - 11.2 Debt contribution, source and cost of debt
  - 11.3 Total fixed capital
  - 11.4 Net worth of the company
  - 11.5 Appraisal letter from Bank of leading Institution.